Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 65: Form and manner of submission of return by an Input Service Distributor

Every Input Service Distributor shall, on the basis of details contained in **FORM GSTR-6A**, and where required, after adding, correcting or deleting the details, furnish electronically the return in **FORM GSTR-6**, containing the details of tax invoices on which credit has been received and those issued under section 20, through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 65 : इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक प्ररूप जीएसटीआर—6क में अंतर्विष्ट ब्यौरों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्यौरों में जोड़ने के पश्चात् सही करने या ब्यौरों का लोप करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में प्ररूप जीएसटीआर—6 में विवरणी, जिसमें कर बीजकों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्यय प्राप्त किया गया है तथा जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।